[निजी प्रसार के लिए]

अंक ३१ नई दिल्ली, सितम्बर २०१२

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

महिला पुलिस विशेषांक

'बेहतर पुलिसिंग के लिए रुचि और क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए'

श्रीमती जीजा माधवन हरिसिंह

श्रीमती जीजा माधवन हरिसिंह, पूर्व डी.जी.पी. कर्नाटक, जोकि दक्षिणी भारत की पहली आई.पी.एस. अधिकारी हैं और जिन्हें कर्नाटक की किरण बेदी भी कहा जाता है, से पुलिसिंग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर ज़ीनत मलिक द्वारा ईमेल तथा फ़ोन पर लिए गए साक्षात्कार के अंश।

मैडम कृपया अपनी नियुक्तियों के बारे में संक्षिप्त में बताएं और यह भी बताएं कि इस सेवा में शामिल होने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया?

मैंने साढ़े तीन दशक इस सेवा में बिताया है और इस दौरान कई पदों पर नियुक्त रही हूँ। २०११ में सेवानिवृत के समय मैं, डी.जी. फायर और इमरजेंसी सेवा, कमांडेण्ट जनरल ऑफ होम गार्ड और डायरेक्टर सिविल डिफेंस के पद पर थी। इसके पहले कई और पदों पर नियुक्त रह चुकी हूँ जिसकी सूची लंबी है।

जिस समय आप बल में सम्मिलित हुई थीं उस समय की तुलना में क्या आप पुलिस के प्रति आज के समाज और पुलिसकर्मियों के रुझान में कोई खास बदलाव महसूस करती हैं?

निःसंदेह जिस समय मैं, ७० के दशक में बल में शामिल हुई थी तब से आज के समाज के रुझान में बहुत बदलाव आया है। आज लोग कम समर्पित और आनंद ढूँढने में अधिक रुचि रखते हैं, शायद अधिक भैतिकवादी, आमतौर पर कम आदर्शवादी और निश्चित रूप से अधिक जानकारी रखने वाले हैं, और इन्हें सभी शॉटकट मालूम हैं। लेकिन ज़ीनत, हम सब हर समय में, अपनी अगली पीढ़ी के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, यह सार्वभौमिक है। पुलिसकर्मी समाज से ही निकलते हैं और समाज के ही एक अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेहरू ने कहा था, हमें वही नेता मिलता है हम जिसके क़ाबिल हैं। मैं सोचती हूँ, पुलिस भी ऐसी ही है। ऐसा लगता है कि चीज़ें बदल गई हैं लेकिन उसका सार वही है।

मुझे ग्रीक के एक प्राचीन विचारक सुकरात की एक बात याद आ रही है "हमारे नवयुवक आज सुखसाधन से प्रेम करते हैं। उनमें बुरी आदतें हैं, उनमें अधिकारों के लिए उपेक्षा है, वे अपने बड़ों के प्रति निरादर दिखलाते हैं और व्यायाम के स्थान पर गप्पें मारना पसन्द करते हैं, अब वे कमरे में अपने बड़ों के आने पर नहीं उठते, वे अपने माता पिता का विरोध करते हैं, साथियों के सामने गप्प मारते हैं, अपने खाने को गटकते हैं, अपने शिक्षकों के साथ निर्दयता करते हैं।"

क्या आपके विचार में कांस्टेबुलरी से शुरू करते हुए हर स्तर की पुलिसिंग में शामिल होना, महिलाओं के लिए एक उज्जवल और स्वागत करने वाले पेशे का विकल्प है?

अगर आप काम में अन्तर्निहित शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका सदउपयोग करना चाहते हैं, तो पुलिसिंग एक बेहद सभ्य पेशा है। जो लोग परेशान हैं आप उनकी मदद कर सकते हैं, गलत को सही कर सकते हैं, और बुराईयों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। इसलिए यह एक शानदार पेशा है। जिस प्रकार डॉक्टरों को शरीर की बीमारी ठीक करने की शक्ति प्राप्त होती है उसी प्रकार पुलिस को किसी व्यक्ति को गलत परिस्थिति से निकालने की शक्ति प्राप्त होती है। आपके पास शक्ति है, आप इस शक्ति को किस सफाई, प्रबल्लता और निडरता से इस्तेमाल करते हैं। एक ख़ामोश बहुसंख्यक हिस्सा जो, थोड़े से अपराधियों और समाज में बुराई करने वाले लोगों के द्वारा सताया जा रहा हो, आप उनकी मदद कर सकते हैं। हज़ारों तरीके हैं जिससे की एक पुलिस कांस्टेबल मदद कर सकता है, उसके पास मदद करने का कर्तव्य और शक्ति दोनों होती है। मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। अपराध पर नियंत्रण, जाँच और दोषियों को दण्ड दिलाना ऐसी व्याप्त चीजें हैं जो सभी को ज्ञात हैं। अगर आपने कुछ पैसे अपने बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई या बुढ़ापे के लिए रखे थे और आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पीड़ित की मदद कर सकते हैं। आपको ठगों, स्थानीय गुण्डों द्वारा धमकी दी जा रही है, पुलिस मदद कर सकती है। अगर किसी महिला (यहाँ तक कि पुरुष के साथ भी) के साथ छेड़खानी की जा रही हो, पीटा जा रहा हो, रोका जा रहा हो, विभिन्न परिस्थितियों में पुलिस चोट और पीड़ा को ठीक कर सकती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस अवस्था में होना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है।

पुराने जमाने में, पुलिसिंग शारीरिक स्तर पर अधिक होती थी जिसमें कठोर शक्ति की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज, केवल १०-२० प्रतिशत पुलिस जीवन शारीरिक शक्ति से जुड़ा है। अकसर, मानसिक सहनशक्ति, तकनीकी जानकारी, रणनीति और वार्तालाप से जुड़े सॉफ्ट स्किल और धैर्यपूर्ण बात सुनने की शक्ति कुछ ऐसी पूँजी हैं, जिसकी आवश्यकता पुलिस विभाग को अपराध रोकने और जाँच करने के लिए तथा ऐसी परिस्थितियों को पैदा होने से रोकने के लिए अवश्य होगी जिससे कि हिंसा भड़के या कानून–व्यवस्था विफल हो।

हाल ही में, आपने केरल पुलिस द्वारा आयोजित ५वें अखिल भारतीय महिला पुलिस कांफ्रेंस में भागीदारी की थी, बल में मौजूद महिलाओं के लिए इस प्रकार के कांफ्रेंस का क्या महत्व है?

इस प्रकार के कांफ्रेंस का अत्यधिक महत्व है। ये कई तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- ऐसे कार्यक्रम भारत में महिला पुलिस के लिए बहुत सशक्त करने वाले होते हैं जिसका विशेष प्रभाव उन महिलाओं पर हेाता है जो इसकी मेज़बानी करते हैं, क्योंकि स्थानीय मीडिया में उनके मुद्दों पर फोकस होता है।
- कांफ्रेंस विशिष्ट और रास्ते बदलने वाले होते हैं क्योंकि इसमे भाग लेने वाला विभिन्न स्तरों पर, कार्यरत महिलाएं होती हैं–पुलिस के सभी स्तर से, सभी राज्य और संघ राज्यों से, सभी सी.पी.ओ. और सी.पी.एफ. से। यह एक बहुत बड़ा अवसर होता है मिलने का, चर्चा करने का, अनुभव करने का, नेटवर्क करने का, विचारों में सफाई हासिल करने का, सीखने का और बेहतर तरीके से सेवा करने के लिए सशक्त होने का।
- यहाँ कठिनाईयों को पहचानने पर ध्यान दिया जाता है। यह आँकड़ों और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है जिससे कि सहभागियों, नीति निर्धारकों और कार्यान्वयन करने वालों के द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।

आप महिला पुलिसकर्मियों, विशेषकर थाना स्तर की महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी जिससे कि वे बेहतर और अपने पुरुष सहकर्मियों के समान ही कार्य कर सकें?

यह बिल्कुल सीधा साधा फार्मूला है।

१. उनका मकसद होना चाहिए अपने थाना स्तर पर लोगों के लिए काम करना।

२. जैसे ही उनकी नियुक्ति किसी थाने पर हो, उन्हें उस क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी अपनी ऊँगलियों पर याद कर लेनी चाहिए, उस क्षेत्र के इतिहास से महत्वपूर्ण पहलू, वहाँ रहने वाले लोग कौन है, कौन सा क्षेत्र और कौन से लोग हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सब नियुक्ति के पहले महीने में ही किये जाने की आवश्यकता है।

३. काम के अनुसार, उनके पास जो भी आता है उनके प्रति उन्हें एक धैर्यवान और सहानुभूतिशील श्रोता बनना है। अपने साथियों के साथ विनम्र मगर निश्चयशील रहें।

४. हमेशा कानून की किताबों को देखें और उसका संदर्भ करें।

५. अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कानून, जाँच, फुट ड्रिल, हथियारों का प्रशिक्षण, कमाण्डो ट्रेनिंग प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

६. अपने आप को कम्प्यूटर, संचार तथा प्रस्तुतीकरण आदि जैसे सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षित करें।

७. सबसे महत्वपूर्ण है कि काम करते हुए अपने पसंदीदा काम को पहचानें जिसमें उन्हें विशेष रुचि हो और दूसरे काम करते हुए उसमें विशेषज्ञता प्राप्त करें।

शेष भाग पृष्ठ ३ पर .....

बूझो और जीतो-९

प्रिय पाठको,

लोक पुलिस पत्रिका द्वारा आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरूआत की गई थी। जिसके अंतर्गत आपसे केवल ५ सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके काम से सम्बन्धित होते हैं। आप इसके लिए अपना प्रवेश भेज सकते हैं। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाएगा और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित किये जाएंगे, अगर सही जवाब भेजने वालों की संख्या अधिक हो तो लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाता है। कृपया अपने जवाब समय का ध्यान रखते हुए भेजें ताकि आपके जवाब को इसमें सम्मिलित किया जा सके। किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं :–

१. उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के केस में जारी दिशा–निर्देश किस मुद्दे से सम्बन्धित है?

२. क्या किसी महिला की डॉक्टरी जाँच किसी पुरुष चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कराई जा सकती है? इसके लिए सही प्रक्रिया और अधिकृत व्यक्ति कौन है?

३. मथुरा के केस में उच्चतम न्यायालय के बाद बलात्कार से सम्बन्धी कानूनों में क्या संशोधन किये गये थे?

४. किसी महिला की, अप्राकृतिक रूप से मृत्यू की स्थिति में दहेज हत्या किये जाने की सम्भावना और ससुराल वालों पर ऐसा न करने से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व, शादी के कितने वर्षों के भीतर रहता है?

५. महिला की शारीरिक तलाशी कब और किसके द्वारा ली जा सकती है? किस प्रावधान के अंतर्गत ऐसा कियाजा सकता है?

बूझो और जीतो – 6 का परिणाम

जून २०१२ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं।

उपरोक्त के सही उत्तर निम्नलिखित हैं :

१. दण्ड प्रक्रिया संहिता (द.प्र.सं.) की धारा १७२ के अंतर्गत प्रत्येक केस की जाँच कर रहे अधिकारी को, केस की प्रगति से सम्बन्धित छोटी से छोटी जानकारी एक डायरी में लिखने को कहा गया है, यही केस डायरी कहलाती है। केस डायरी में जाँच शुरू करने का समय, जाँच के दौरान वीक्षण किये गये प्रत्येक स्थान और वहाँ से मिले गए सुराग, गवाहों की गवाही आदि सब कुछ लिखा जाना चाहिए।

आवश्यकता पड़ने अदालत किसी केस डायरी को अदालत में प्रस्तुत करने को कह सकती है।

२. द.प्र.सं की धारा १६४ (१) के अंतर्गत किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने, उन्हें उक्त केस की सुनवाई का अधिकार हो न या न हो, की गई अपराध की कबूली अदालत में मान्य है। कबूली के बाद, इस दस्तावेज़ को वह सम्बद्ध मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे।

३. हाँ, आमतौर पर गिरफ़्तारी बगैर हथकड़ी लगाए ही की जानी चाहिए। द.प्र.सं की धारा ४६ के अनुसार अगर गिरफ़्तार किया जाने वाला व्यक्ति अपने आपको पुलिस की हिरासत में कह कर या कर्म द्वारा समर्पित कर देता है तो, उसे हथकड़ी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

४. किसी अजमानतीय अपराध के आरोप में अगर गिरफ़्तारी की आशंका हो तो इस स्थिति में द.प्र.सं की धारा ४३८ के अंतर्गत वह व्यक्ति अग्रिम जमानत की अर्जी सत्र या उच्च न्यायालय में डाल सकता है। अग्रिम जमानत मंजूर हो गई है तो, ऐसे व्यक्ति को गिरफ़्तारी की स्थिति में जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

५. द.प्र.सं की धारा ५४ के अंतर्गत २००६ में किये गये संशोधन के अनुसार प्रत्येक गिरफ़्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जाँच गिरफ़्तारी के तुरंत बाद किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी या किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा कराई जानी चाहिए और इस जाँच रिपोर्ट की एक कॉपी चिकित्सक द्वारा आरोपी द्वारा मनोनित किसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

सही जवाब भेजने वाले दो सहभागियों के नाम लकी ड्रा द्वारा निकाले गए, वे इस प्रतियोगिता के विजेता हैं।

इनके नाम निम्नलिखित हैं :–

१. श्री अरूण कुमार यादव, थाना बहरिया, जिला–इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

२. श्रीमति कौशल्या देवी, राजस्थान पुलिस।

नोट : विजेताओं को अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा पुरस्कार की राशी भेज दी जाएगी।

अपना जवाब हमे लिखें या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-१७७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८८६४६८८
ई–मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

पुलिस विभाग को महिला पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है!

केरल पुलिस के पूर्व महानिदेशक श्री जेकब पुन्नूस द्वारा ५वें राष्ट्रीय महिला पुलिस कांग्रेस के समापन समारोह में दिए गए भाषण को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भाषण में केरल पुलिस की ओर से पुलिस में महिलाओं की स्थिति की बेहतरी के लिए पथ पर्दशक बनने की बात कही गई है।

मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री और गृहमंत्री दोनों के समक्ष इस कांफ्रेंस में आने के लिए कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। हम सबको इस बात से बेहद प्रसन्नता है कि आप दोनों इस कांफ्रेंस में भाग ले सके और इस पर अपने विचारों से हमें अवगत कराया।

आज अपने समापन भाषण में, मैं केवल दो बिन्दू रखना चाहता हूँ।

मैं, १९७५ में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में शामिल हुआ, हमारे बैच ने अपने जीवन में पहली बार हैदराबाद के सिवारामपल्ली में पुलिस यूनिफार्म पहना। मुझे याद है कि श्री तिवारी की दण्ड प्रक्रिया संहिता (दं.प्र.सं.) की क्लास में, मैंने पहली बार पुलिस सेवा के पहले विरोधाभास को महसूस किया। दं.प्र.सं. के अंतर्गत जैसा कि श्री तिवारी ने बतलाया कि, किसी भी महिला को थाने में नहीं बुलाया जाना चाहिए। आगे, किसी बच्चे को भी थाने में नहीं बुलाया जाना चाहिए। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है? क्योंकि, मैं एक नवयुवक था कानून की पेच को नहीं समझता था, मैं परेशान हो गया। मुझे पहले कमी थाने में नहीं बुलाया गया था। इसलिए मैं सोचने लगा क्या थानों का काम महिलाओं की मदद करना नहीं है? क्यों वहाँ बच्चों को पसन्द नहीं किया जाता या उन्हें नहीं बुलाया जाता? वास्तव में, यह शायद भारतीय पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है।

थाने, कमजोरों के लिए होते हैं और इनका मकसद कमज़ोरों की सुरक्षा करना है। अगर लोग मुश्किल में हैं, जब जनता पीड़ित हो तब पुलिस का काम है उनकी सुरक्षा करना। उन्हे वहाँ डरे बगैर आना चाहिए। लेकिन परम्परागत रूप से, हमारे थानों में महिलाएं जोकि भारतीय जनसंख्या का ५० प्रतिशत हैं, प्रवेश नहीं कर सकतीं या फिर वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। बाकी बचे ५० प्रतिशत में से जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनका भी थानों में प्रवेश सुरक्षित नहीं है। इसलिए अंततः भारत में थानों में केवल २५ प्रतिशत लोग ही सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकते हैं। कानूनी स्वंयसिद्धियों और पूर्वाभासों के अनुसार, महिलाओं और बच्चों के लिए थाने ख़तरनाक स्थान बन चुके हैं।

यह पूर्वाभास हमारे ऐतिहासिक अनुभव के कारण आया–२०० सालों के औपनिवेशिक पुलिसिंग के अनुभव के कारण। २०० सालों के बाद भी हमने इसे बदलने की काशिश नहीं की है। थानों को आज भी पुरुषों का गढ़ माना जाता है–पौरुष का गढ़, जैसा कि इस कांफ्रेंस में पहले बतलाया गया था गढ़, जहाँ महिलाओं को प्रवेश करने से डरना चाहिए, जहाँ बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। यह हमारे थानों की छवि है। यह अवश्य ही बदलना चाहिए।

मुझे इस देश के लिए रविन्द्र नाथ टैगोर की स्वतंत्रा के लिए एक पंक्ति कहना चाहिए। उन्होंने लिखा "जहाँ मन भय के बगैर हो, जहाँ सर उठा कर रखा जा सके, मेरे खुदा, ऐसे स्थान पर मेरे देश को जागने दो"। यह उनका सपना था। यह उनकी दुआ थी। लेकिन, टैगोर के अलावा हमें आज एक और दुआ भी करनी चाहिए। हर थाने में महिलाओं की उपस्थिति, महिलाओं का प्रवेश (जैसा कि आज इस कांफ्रेंस में निर्णय लिया गया है और सिफ़ारिश की गई है, जैसा कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने इस कांफ्रेंस के परिणाम के रूप में, वादा किया है कि वह पूरे देश में इसके आगे की कार्यवाही करेगा और इसका कार्यान्वयन करेगा), हम दुआ करें कि ऐसे थाने हों जहाँ महिलाएं और बच्चे निर्मय होकर तथा सर उठा कर प्रवेश कर सकें।

थानों में इस बदलाव के होने के लिए, हमें आज के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए कि भारत के प्रत्येक थानों में महिला पुलिस होंगी। शायद ५ सालों तक स्थिति नहीं बदलेगी। यह १० सालों तक भी नहीं बदल सकती है। लेकिन कम से कम अगर आज यह होता है, हम इस बात से निश्चित हो सकते है कि हमारे बच्चों के बच्चे थाने में निर्भय होकर प्रवेश कर सकेंगे।

चीज़ों का बदलना बेहद कठिन है। फिर भी, मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा।

लेकिन जब महिलाएं वहाँ जाएंगी वहाँ मुशिकल हो सकती है। कल, परसों और आज सुबह, इन कठिनाईयों पर प्रकाश डाला गया था। महिलाएं, जैविक रूप से पुरुषों से भिन्न हैं। महिलाओं की अलग आवश्यकताएं हैं। लेकिन उनकी इन अलग आवश्यताओं को, बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारियों, उनकी जैविक आवश्यकताओं, ज़रूरतों को एक ऐसे डण्डे के रूप में नहीं उपयोग करना चाहिए जिससे उन्हें मारा जा सके। यहाँ किसी ने कहा था कि – 'महिलाओं को पुलिस में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसके विपरीत भारतीय पुलिसिंग व्यवस्था को इस बात की आवश्यकता है कि महिलाएं इसमें प्रवेश करें।' और, इसलिए, अगर ऐसा होना है, पुलिस संस्थान, थाने, हमारे कार्यालय, हमारी संस्थागत प्रचलनों को अवश्य ही बदलना होगा ताकि महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को इसमें समायोजित किया जा सके।

मैं आपको मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की ओर ले जाता हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे किसी डी.जी.पी. के मुँह से मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के बारे में सूनना बड़ा विचित्र है – यह ऐसा है जैसे शैतान किसी धर्मग्रंथ का उद्धरण कर रहा है, लेकिन शैतान को उसका ऋण चुकाने दें। मैं केवल दो अनुच्छेद पढ़ूँगा – पहला है घोषणा का अनुच्छेद १६ जो कहता है परिवार समाज की मूल प्राकृतिक ईकाई और इसे समाज और राज्य से सुरक्षा का अधिकार है। दूसरा, अनुच्छेद २५ – मातृत्व व बचपन को राज्य से विशेष देख रेख और सहायता का अधिकार है। भारत सार्वभौम घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है। इसको सन्दर्भ में रखते हुए – कोई पहले शिकायत कर रहा था – "महिलाएं छुट्टी मांगती हैं, वे अपनी सास, बेटा, बेटी, पति की देखरेख करना चाहती हैं, वे गर्भवति हो जाती हैं, उन्हें बच्चों की देखभाल करनी होती है।" लेकिन हमें इन शिकायतों का अवश्य जवाब देना चाहिए। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो महिलाओं द्वारा पूरी की जानी चाहिए। परिवार इसी कारण से जीवित रहता है। बाल न्याय चाहता है, बच्चे – अगर महिला पुलिस के हैं – तो भी उन्हें सम्मान के साथ बड़ा होना चाहिए। बच्चे को कष्ट भुगतने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। बाल न्याय कानून के अंतर्गत, बच्चे को ऐसे ही छोड़कर काम पर चले जाना अपराध है। हमें इन सारी बातों को सोचना चाहिए। पुलिसिंग एक संस्थान के रूप में बहुत दिनों तक पुरुषों का गढ़ रहा है। और क्योंकि यह पुरुषों का गढ़ है इसलिए हमने कमी समायोजन नहीं किया है। हमने कमी भी बेहद आवश्यक मानवीय स्वरूप नहीं प्राप्त किया है। इसे हासिल करने का तरीका केवल यही है कि महिलाओं को बड़ी संख्या में, ज़्यादा अधिकार के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारियों के साथ और बड़ी शक्तियों के साथ हमारी पुलिसिंग व्यवस्था में लिया जाए। इसके लिए हमें अपने रुझान, अपने प्रावधानों, बनावट और संसाधन आवंटन में मूल समायोजन करना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, इन चीज़ों को तुरन्त किये जाने की आवश्यकता है।ज़रूरतों को एक ऐसे डण्डे के रूप में नहीं उपयोग करना चाहिए जिससे उन्हें मारा जा सके। यहाँ किसी ने कहा था कि – 'महिलाओं को पुलिस में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसके विपरीत भारतीय पुलिसिंग व्यवस्था को इस बात की आवश्यकता है कि महिलाएं इसमें प्रवेश करें।' और, इसलिए, अगर ऐसा होना है, पुलिस संस्थान, थाने, हमारे कार्यालय, हमारी संस्थागत प्रचलनों को अवश्य ही बदलना होगा ताकि महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को इसमें समायोजित किया जा सके।

मैं आपको मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की ओर ले जाता हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे किसी डी.जी.पी. के मुँह से मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के बारे में सूनना बड़ा विचित्र है – यह ऐसा है जैसे शैतान किसी धर्मग्रंथ का उद्धरण कर रहा है, लेकिन शैतान को उसका ऋण चुकाने दें। मैं केवल दो अनुच्छेद पढ़ूँगा – पहला है घोषणा का अनुच्छेद १६ जो कहता है परिवार समाज की मूल प्राकृतिक ईकाई और इसे समाज और राज्य से सुरक्षा का अधिकार है। दूसरा, अनुच्छेद २५ – मातृत्व व बचपन को राज्य से विशेष देख रेख और सहायता का अधिकार है। भारत सार्वभौम घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है। इसको सन्दर्भ में रखते हुए – कोई पहले शिकायत कर रहा था – "महिलाएं छुट्टी मांगती हैं, वे अपनी सास, बेटा, बेटी, पति की देखरेख करना चाहती हैं, वे गर्भवति हो जाती हैं, उन्हें बच्चों की देखभाल करनी होती है।" लेकिन हमें इन शिकायतों का अवश्य जवाब देना चाहिए। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो महिलाओं द्वारा पूरी की जानी चाहिए। परिवार इसी कारण से जीवित रहता है। बाल न्याय चाहता है, बच्चे – अगर महिला पुलिस के हैं – तो भी उन्हें सम्मान के साथ बड़ा होना चाहिए। बच्चे को कष्ट भुगतने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। बाल न्याय कानून के अंतर्गत, बच्चे को ऐसे ही छोड़कर काम पर चले जाना अपराध है। हमें इन सारी बातों को सोचना चाहिए। पुलिसिंग एक संस्थान के रूप में बहुत दिनों तक पुरुषों का गढ़ रहा है। और क्योंकि यह पुरुषों का गढ़ है इसलिए हमने कमी समायोजन नहीं किया है। हमने कमी भी बेहद आवश्यक मानवीय स्वरूप नहीं प्राप्त किया है। इसे हासिल करने का तरीका केवल यही है कि महिलाओं को बड़ी संख्या में, ज़्यादा अधिकार के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारियों के साथ और बड़ी शक्तियों के साथ हमारी पुलिसिंग व्यवस्था में लिया जाए। इसके लिए हमें अपने रुझान, अपने प्रावधानों, बनावट और संसाधन आवंटन में मूल समायोजन करना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, इन चीज़ों को तुरन्त किये जाने की आवश्यकता है।

इस कांफ्रेंस में कई सिफारिशें की गई हैं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें अपनाया जाए।

मैं आशा करता हूँ कि महिलाएं पुलिस में और थानों में अधिक संख्या में प्रवेश करें और मैं आशा करता हूँ कि पुलिस, एक संस्था के रूप में महिलाओं के लिए अधिक मैत्रीपूर्ण बने। और, यहाँ कांफ्रेंस के परिणाम के रूप में थ्रिसुर से यह आवाज़ जाने दो कि भारत में थानों में महिलाओं के साथ पुलिसिंग को अलग होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पुलिस में जाने की ज़रूरत है। यह इसके बिल्कुल विपरीत है। यह पुलिस व्यवस्था है जिसे महिला पुलिस की आवश्यकता है और इसे इनका स्वागत करना चाहिए। हम, जोकि इस कांफ्रेंस में सहभागी हैं को पथप्रदर्शक बनना चाहिए और अपने स्वतंत्र राज्यों और संगठनों में यह संदेश ले जाना चाहिए।

पुलिसिंग राज्य का विषय है। प्रत्येक मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को निर्णय करना है कि उन्हें इसके लिए क्या करना है। लेकिन, चलिए हमलोग जो यहाँ हैं, पथ पर्दशक बनते हैं जोकि यहाँ से प्रत्येक राज्य, प्रत्येक संगठन में यह संदेश ले जाएंगे और आने वाले समय में पुलिस में अधिक से अधिक महिलाओं की संख्या के लिए खड़े होंगे, इसकी वकालत करेंगे और स्वागत करेंगे।

धन्यवाद!

इसके बाद ५वें कांफ्रेंस का भी समापन हो गया। इसके पहले वाले सभी ४ कांफ्रेंसों में भी कई सिफ़ारिशें दी गई हैं। लेकिन, समस्या यह है कि अभी तक इन सिफ़ारिशों को लागू कराने की ओर केन्द्रीय और राज्य स्तर पर कोई उचित यंत्रावली नहीं बनाई गई है। शायद यही कारण है कि इन पांचों कांफ्रेंस में सिफ़ारिशों की भीड़ लगती जा रही है। अगर पहले कांफ्रेंस के बाद इसमें दिये गए सुझावों और सिफारिशों को लागू कराया जाता तो शायद अगली बार कांफ्रेंस में मुद्दे और महिला पुलिस अधिकारियों की समस्याएं कुछ अलग होतीं। इसलिए, अब समय आ चुका है कि इन सिफारिशों को किसी भी तरह लागू करवाया जाए।

– प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

क्या आप जानते हैं ?

लोक पुलिस का यह अंक 'महिला विशेष' है, इसलिए इसके सभी स्तम्भों/खण्डों में महिलाओं से सम्बन्धित जानकारियाँ ही प्रस्तुत की जा रही हैं। इसका अनुसरण करते हुए हम, इस खण्ड में ५वें राष्ट्रीय महिला पुलिस कांफ्रेंस में दी गई सिफ़ारिशों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं।

५वें राष्ट्रीय महिला पुलिस कांफ्रेंस की सिफ़ारिशें

१. महिला और बच्चों से सम्बन्धित शिकायतों को सुनने के लिए, प्रत्येक थाने में महिला और बाल डेस्क की स्थापना,

२. गृह मंत्रालय को प्रत्येक राज्य में महिला पुलिस द्वारा सामाजिक विकास सम्बन्धित कार्यों के लिए पायलट प्रॉजेक्ट चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

३. पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो द्वारा एक केन्द्रीय समिति का गठन हो, जिसमें पुलिस सेवा की एक महिला अधिकारी (नोडल अफ़सर) और एक सेवानिवृत वरिष्ठ महिला अधिकारी हों जो।

- राष्ट्रीय महिला पुलिस कांफ्रेंस में की गई विभिन्न सिफ़ारिशों पर की गई कार्यवाही को मॉनीटर करेंगी।
- दूसरे देशों से सर्वोत्तम प्रचलनों का उदाहरण लेकर तथा नर्म और पार्शिवक आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए जीवन चक्र को समायोजित करते हुए, पुलिस में महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाएंगी।
- महिला पुलिस के कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाली देश और पूरी दुनिया के अंदर सर्वोत्तम प्रचलनों पर केन्द्रित शोध करें।

४. प्रत्येक राज्य/संगठन के अंतर्गत, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो की केन्द्रीय समिति की सहायता करने तथा राज्य /सी.पी.ओ. से जुड़े महिला पुलिस के मुद्दों के सम्बोधन के लिए एक नोडल अफ़सर की नियुक्ति की जानी चाहिए।

५. पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो, महिला पुलिस के लिए उपर्युक्त, विदेशों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण सेमिनारों और अवसरों की पहचान करें और इसमें उचित सहभागिता को सुनिश्चित करें।

६. देश के प्रत्येक थाने में कम से कम ४ महिलाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए।

७. खुली भर्ती– सभी पदों को महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक समान रूप से खुला रखना चाहिए और इसमें भर्ती नियमों के अनुसार षरीरिक मानदण्डों में अंतर रखा जाए।

८. हर स्तर पर पदोन्नति के लिए खुली संरचना हो जो वरिष्ठता के साथ योग्यता की कसौटी पर हो न कि लिंग के आधार पर पदोन्नति।

९. महिला और पुरुष दोनों के लिए ही नियमित और आवधिक रूप से लिंग संवेदीकरण प्रोग्राम आयोजित किये जाने चाहिए।

१०. महिला पुलिस के प्रशिक्षण तथा उनके लिए अवसंरचना के विकास के लिए (केरल का जेन्डर फ्लैगशिप प्रोग्राम) योजनाबद्ध फण्ड या आधुनिकीकरण अनुदान दिया जाना चाहिए।

११. पुलिस के सभी काम जिसमें जनता से सामना हो, समान रूप से महिला और पुरुषों में बाँटा जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

१२. विशाखा दिशा–निर्देशों के अंतर्गत इंक्वायरी की निगरानी– ताकि समयबद्ध और प्रभावशील कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

पृष्ठ १ का शेष .....

क्या आपके विचार में, बल में महिलाओं की संख्या को एक अच्छा अनुपात देने के लिए पुलिस भर्ती के दौरान महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए?

मेरे विचार में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, कम से कम तब तक तो होना ही चाहिए जब तक १० प्रतिशत महिलाएं पुलिस में न आ जाएं। ऐसा इसलिए नहीं है कि महिलाएं पुरुषों से कुछ कम हैं बल्कि ऐसा भर्ती के दौरान जो विरोध होता है उस कारण से है। पुरुष महिलाओं की भर्ती करते हैं जो उन्हें बल में नहीं चाहते हैं।

ऐसे कई पुरुष हैं जो कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं है दरअसल वे महिलाओं को चाहते ही नहीं। इसी प्रकार कुछ महिलाएं भी हैं जो ऐसा कहती हैं, जो इस पहलू को नहीं देख पाती हैं, कि आरक्षण के बगैर १० प्रतिशत महिलाएं बल में कभी नहीं आ पाएंगी। इस अनुपात को प्राप्त करने के बाद आरक्षण को वापस लिया जा सकता है।

क्या आपके विचार में सभी स्तरों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए– कांस्टेबल से लेकर आई. पी. एस. तक?

नहीं, आई.पी.एस. के स्तर पर ऐसे किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, इसके बगैर भी हम लोग २५ प्रतिशत में आते हैं जबकि इसका वातावरण भी बिल्कुल महिला मैत्रीपूर्ण नहीं है। मानसिक स्तर पर महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और यह जग जाहिर है। इसलिए नेतृत्व के स्तर पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण में वैसे भी आधिपत्य व्याप्त होता है लेकिन इसके बावजूद निचले स्तर पर यह आवश्यक है। सब इंस्पेक्टर के स्तर तक आरक्षण होना चाहिए। इसके बाद पदोन्नति के लिए इंस्पेक्टर और डी.एस.पी. के स्तर तक आरक्षण की आवश्यकता है, इसके बाद के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

ऐसा कहा जाता है कि 'महिलाओं के अधिकाधिक संख्या में पुलिस में आने से इसे मानवीय स्वरूप मिलेगा' महिलाओं के आने से बल में क्या विशेष परिवर्तन आ सकते हैं?

पुलिस में महिलाओं की अधिक संख्या से ६ प्रकार के विशेष लाभ हो सकते हैं जैसा कि सेन्टर फॉर विमन इन पुलिसिंग, यु.एस. की निदेशक श्रीमति पेन्नी हैरिंगटन, प्रमुख लेखक द्वारा लिखे गए एक गाईड में बताया गया है–

१. महिला अधिकारी उतनी ही सक्षम सिद्ध हुई हैं जितना कि उनके पुरुष सहकर्मी।

२. महिला अधिकारियों द्वारा अपरिमित बल के उपयोग किये जाने की सम्भावना कम होत है।

३. महिला पुलिस अधिकारी "सामुदायिक अभिविन्यस्त पुलिसिंग" का कार्यान्वयन करती हैं।

४. अधिक महिला पुलिस अधिकारी, महिलाओं के प्रति हिंसा के विरुद्ध कानून लागू करने में जवाबदेही को सुधारेंगी।

५. महिलाओं की उपस्थिति को बढ़ाने से, एक कानून लागू कराने वाली एजेंसी में लिंग भेद और लिंग उत्पीड़न में कमी आएगी।

६. महिलाओं की उपस्थिति से, सभी अधिकारियों के लिए नीति में लाभकारी बदलाव आ सकते हैं।

जब महिलाएं संख्या में कम होती हैं तब उनके पुरुष सहकर्मियों द्वारा साधारण बर्ताव और भद्देपन में बदलाव आना कठिन होता है लेकिन जब महिलाएं अधिक हों तब यह बर्ताव बदलना पड़ता है और यह न केवल थाना स्तर के महिला सहकर्मियों के लिए होता है बल्कि आम जनता के प्रति भी उनका व्यवहार बदलता है, जोकि समाज के लिए अच्छा है।

इसके अलावा महिलाएं अधिक मेहनती हैं और वह लम्बे समय तक के लिए काम कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाएं अधिक सभ्य होती हैं, इसका प्रभाव यह भी होता है कि उनके पुरुष सहकर्मी भी अपने बर्ताव में बदलाव लाने पर बाध्य हो जाते हैं और महिलाएं बलात्कार और छेड़खानी नहीं करेंगी (हंसते हुए)। महिलाओं के प्रति होने वाले घरेलू हिंसा जैसे केसों में सुनवाई की सम्भावना अधिक होगी।

पुलिसिंग की आंतरिक समस्यएं क्या है जिन्हें बदलने की आवश्यकता है?

पुलिस में संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है। महिलाओं का कई स्तर पर दोहरी मेहनत करनी पड़ती है, दूसरे सेक्टर में भी इसी प्रकार महिलाओं को भी नेटवर्क करने की आवश्यकता है। कई बार महिलाएं जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काम कर रही हैं एक ही ऑफिस में और वह आपसे यौन रूचि की अपेक्षा रखता है तब आपके पास अपने आपको बचाने का साधन नहीं मिलता। इसलिए संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग यौन उत्पीड़न के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि वे आपको घूरने से पहले सोचेंगे क्योंकि कई लोगों को इस प्रकार यौन उत्पीड़न के लिए दण्ड मिल चुका है और लोग ऐसी स्थिति से बचते हैं क्योंकि यौन उत्पीड़न आँखों से भी हो सकता है। बुनियादी तौर पर पुलिसिंग संरचना में कोई पुरुष और महिला सुधार नहीं ला सकती हैं इसके लिए राजनैतिक ईच्छाशक्ति की आवश्यकता है। दरअसल, तीन लोग–सरकार, पुलिस नेतृत्व और स्वंय महिलाओं को आपस में मिलकर बदलाव करना होगा।

अगर आपको पुलिस में बदलाव करने की स्वतंत्रता मिले तो नीति स्तर पर आप क्या बदलना चाहेंगी जिससे कि महिलाओं का कार्यनिष्पादन बेहतर हो सके?

अगर मुझे बदलाव करने की स्वतंत्रता मिले तो मैं–

१. ५ प्रतिशत तक भर्ती के समय सभी प्रकार के पुलिस यूनिट में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करूँगी।

२. सभी राज्यों में महिलाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के लिए एक व्यापक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

३. यह भी देखा जाएगा कि दिये गए काम को महिलाएं किस तरीके से पूरा कर रही हैं।

४. ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊँगी जहाँ पुलिस को चार–पांच ग्रुप में बांट दूँगी जैसे कि ८० हजार महिला पुलिस को सामुदायिक प्रोग्राम, कमांडो पुलिस, जाँच पुलिस और कानून व्यवस्था पुलिस। इस प्रकार जिसका जैसा रुझान हो वैसा ही उसे प्रशिक्षित किया जाए और सभी सशक्त होंगे।

५. इसके बाद हर प्रकार के संरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए एक कमिटी बनाई जाएगी जो यह देखेगी प्राम्भिक स्तर पर, प्रशिक्षण, प्रोमोशन और सेवानिवृत के स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।

आपके विचार

महोदया

नमस्कार!

मैं पटना ज़िला के एक थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हुँ। मुझे 3 साल पुलिस की सेवा में हो गए हैं। मैं अपने काम से बेहद संतुष्ट भी हुँ और अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हुँ कि काम के दबाव या अन्य किसी भी कारण से मैं कानून को अपने हांथ में न लुँ। लेकिन, मेरे इसी रवैये के कारण मेरे सहकर्मी मुझे कहते हैं कि तरक्की करनी है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा पुरूष सहकर्मियों की अपनी दलील भी होती है, उनके अनुसार महिलाओं को यह सब करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन पर परिवार चलाने की ज़िम्मेदारी नहीं होती और उनके द्वारा कमाई गई राशी परिवार के लिए एक अतिरिक्त आमदनी होती है।

सेवा में तरक्की करने की चाह मुझे भी है लेकिन मैं चाहती हुँ कि इसके लिए कुछ ऐसे नियमों का निर्धारण किया जाए जिससे किसी को भी तरक्की पाने के लिए झूठी वीरता दिखाने की आवश्यकता न पड़े। अगर ऐसे नियम पहले से ही हैं तो उसकी जानकारी का उचित प्रसारण हो। आप इस पत्रिका द्वारा भी हमलोगों को प्रोमोशन के निर्धारित कारकों की जानकारी दे सकते हैं।

धन्यवाद!
महिला हेड कांस्टेबल,
सदस्य, बिहार पुलिस

संपादिका जी,
नमस्कार!
मैं हरियाणा पुलिस में सब–इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हुँ। आपकी पत्रिका लोक पुलिस के जून का अंक पढ़ने को मिला, बेहद पसंद आया। बाद में मैंने अपने साथियों से पता किया तो मालूम हुआ कि यह काफी पुरानी है और थाने में नियमित रूप से आती है। मुझे आपका साक्षात्कार और समाचार वाला खण्ड रोचक और ज्ञानवर्धक लगा। आप महिलाओं की कठिनाई और उसके निपटारे के बारे में भी कोई लेख अवश्य छापें, इससे हमें सहायता मिलेगी।
इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान महिला पुलिसकर्मियों को पुलिसिंग के प्रमुख कार्यों जैसे कि अनुसंधान, ड्राईविंग आदि पर विशेष प्रशिक्षण दिये जाने कि आवश्यकता पर लेख भी छापें इससे हमें भी अपने लिए इस प्रशिक्षण की मांग करने में सहायता मिलेगी।

धन्यवाद!
महिला सब इंस्पेक्टर, सोनीपत,

पुलिस समाचार – हर कोने की हलचल

महिलाओं के लिए थाना प्रभारी पद की तैयारी!

केरल के मुख्य मंत्री श्री ऊमेन चंदी ने जुलाई में ५वें राष्ट्रीय पुलिस में महिला कांफ्रेंस के विदाई भाषण में कहा था कि महिलाओं को भी जल्द ही थाना प्रभारी का पद दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया था कि राज्य में महिलाओं की सब इंस्पेक्टर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। उनके अनुसार पुलिस में महिलाओं की अधिक संख्या, पुलिस का रूप बदल देगा और जनमैत्री इससे पुलिसिंग को बढ़ावा देगा।

राज्य गृह मंत्री ने भी बताया था कि सरकार पुलिस में महिलाओं की संख्या २ प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही है।

केरल में ही नहीं सभी राज्यों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से योजनाबद्ध कोशिश की आवश्यकता है और महिलाओं की पुलिसिंग की मुख्यधारा में नियुक्त किये जाने की भी ज़रूरत है फिर चाहे वह थाना प्रभारी का दायित्व दिये जाने की बात हो या फिर योग्यतानुसार अन्य कार्य जैसे केस की जाँच आदि।

(सौजन्य : द हिन्दू डॉट कॉम २८ जुलाई २०१२)

कोलकाता पुलिस – अधिक महिलाओं की भर्ती

शहर में अचानक महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए पुलिस को अधिक महिला पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है ताकि महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों को अधिक संवेदनशीलता से सम्भाला जा सके। इसलिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बल को मज़बूत करने के लिए ५०० महिला पुलिसकर्मियों को भर्ती करने का निर्णय लिया है। अब उन्हें मुख्यमंत्री श्रीमति ममता बनर्जी से आज्ञा मिलने का इन्तज़ार है।

सूत्रों के अनुसार 'महिला होने के कारण मुख्यमंत्री को कोई समय नहीं लगा यह समझने में कि महिलाओं की शिकायतों से अधिक संवेदनशीलता से निपटने की आवश्यकता है'।

शहर के पुलिस प्रमुख श्री आर. के. पचनंदा ने ४८४ महिला पुलिस कर्मियों को भर्ती करने का प्रस्ताव भेजा है जिसमें एक डेप्यूटी कमिश्नर, तीन असिस्टेंट कमिश्नर, ६ सब इंस्पेक्टर, २४ अस्सिटेंट सब इंस्पेक्टर और बाकी के कांस्टेबल होंगे। शहर में यह अब तक महिला पुलिसकर्मियों की सबसे बड़ी भर्ती है और इससे पुलिस मुख्यालय स्थित महिला शिकायत सेल में महिला पुलिस कर्मियों की कमी भी पूरी हो जाएगी।

इससे पहले जैसे ही राज्य में महिला मुख्यमंत्री ने पद सम्भाला था, शहर पुलिस प्रमुख ने २६०० महिलाओं के साथ एक पूर्ण महिला बटालियन के गठन का प्रस्ताव उन्हें भेजा था। यह व्यावहारिक पुलिसिंग की ओर एक बेहद आवश्यक कदम था तथा शहर के एकतरफा लिंग समीकरण में सुधार के लिए भी आवश्यक था क्योंकि यहाँ २५,७२० पुरुषों के साथ केवल २८० महिलाएं थीं।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार 'प्रत्येक थाने में एक महिला सब–इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल तैनात हैं जबकि रात के समय यह संख्या अपर्याप्त हो जाती है क्योंकि महिलाओं के प्रति हिंसा की शिकायतें रात में अधिक हो जाती है।'

इसके अलावा कई पुरुष पुलिसकर्मी प्रदर्शन आदि के समय महिला पुलिसकर्मियों की अपर्याप्त संख्या का अनुभव करते हैं। उनके अनुसार ऐसे प्रदर्शनों में जहाँ अकसर महिलाओं को एक ढाल के रूप में उपयोग किया जाता है वहाँ महिला प्रदर्शनकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार के अनुशासन लागू कराने की कोशिश को उनके प्रति पुलिस का अत्याचार कह दिया जाता है। इसलिए, पुलिस भी ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए महिलाओं को ही इस काम में तैनाती की वकालत करते हैं। जबकि महिला पुलिसकर्मियों की कुछ बेहद बुनियादी समस्याएं हैं जिस पर तुरंत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है जैसे कि थानों में महिलाओं के कपड़े बदलने की अलग जगह और अलग शौचालयों का न होना।

आशा है, कोलकाता पुलिस में लिंग समीकरण में बेहतरी होगी और अधिक महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती से महिलाओं के केसों के प्रति अधिक संवेदनशीलता देखने को मिलेगा।

(सौजन्य : द टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम २८ जुलाई व ६ अगस्त २०१२)

उग्र भीड़ और पुलिस का दर्द।

उड़ीसा में ६ सितम्बर को महिला कांस्टेबल प्रमिला पाढ़ी तथा कई पुलिसकर्मियों की कांग्रेस के प्रदर्शनकर्ताओं ने आयोजित एक रैली के दौरान हुई झड़प में डण्डे से पिटाई की थी। श्रीमति पाढ़ी को शरीर और सिर में बहुत चोट आई थी और उन्हें पहले सरकारी अस्पताल और बाद में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हांलाकि, डॉक्टरों के अनुसार उन्हें आंतरिक चोट नहीं आई थी।

हांलाकि, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जगदीश टाईटलर ने इसके लिए क्षमा याचना भी की थी लेकिन, प्रमिला के अनुसार किसी क्षमा याचना से उसका दर्द कम नहीं होगा। बल्कि अपराधियों को शीघ्र दण्ड मिलना चाहिए। पुलिस ने प्रमिला की शिकायत पर एफ. आई.आर. दर्ज करके जाँच शुरू कर दिया है।

भुवनेश्वर के डी.सी.पी. श्री नितिनजीत सिंह ने बताया कि उनकी तबियत में सुधार आ रहा है। उन्होंने बताया कि 'प्रमिला की तैनाती बैरेकेड नं. १ पर की गई थी जहाँ प्रदर्शनकर्ताओं में महिलाएं भी शामिल थीं। लेकिन जब ये कांग्रेसी प्रदर्शनकर्ताओं ने बैरेकेड तोड़ा तभी कुछ बदमाश लोगों ने प्रमिला को धक्का दिया और डण्डे से उन पर हमला किया। नजदीक लगे कैमरे मीडिया रिपोर्टों और टी. वी. चैनलों पर दिखाये गए दृश्यों से प्रमिला तथा अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले अपराधियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है'।

उग्र भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों और खासकर महिला पुलिसकर्मियों पर हमला किये जाने की घटना अचानक बढ़ने लगी है। कभी भुवनेश्वर है तो कभी मुंबई जहाँ भीड़ न केवल रैली और शांतिपूर्ण मार्च के नाम पर अचानक उग्र हो जाती है और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को ही विभिन्न प्रकार के हिंसक बर्ताव का शिकार बनाने लगती है, तकनीक का उपयोग करके ऐसे लोगों की तुरंत पहचान करके उन्हें उचित दण्ड देना बेहद आवश्यक हो गया है।

अगस्त में मुंबई में जब मुस्लिम लोगों के एक ग्रुप ने असम और मयनमार में मुसलमानों के विरुद्ध हो रही हिंसा पर रोष प्रकट करने के लिए एक शांति मार्च का आयोजन किया था और अचानक ही भीड़ हिंसक हो उठी थी तब भी भीड़ ने न केवल पुलिस को घायल किया था बल्कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़खानी भी की थी। ऐसी घटनाओं से पुलिसकर्मियों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही साथ ही इससे पुलिस बल की ऐसी सभाओं के उग्र होने की स्थिति में तैयारी पर भी सवाल उठाती है। क्या पुलिस बल में ऐसी उग्र भीड़ को काबू करने के लिए उचित प्रशिक्षण तथा उपकरण व हथियार दिये जाते हैं जहाँ आम जनता की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है वहीं अपने ही बल के सदस्यों की सुरक्षा पर अकारण अतिक्रमण करने वालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और इन पर कानूनी कार्यवाही करके मीडिया की मदद से इसका प्रचार भी करना चाहिए ताकि भविष्य में भीड़ के किसी सदस्य द्वारा कानून को अपने हांथ में लेने के पहले इसके परिणाम का अंदाजा उन्हें अवश्य ही रहे। कई बार ऐसी भीड़ में बदमाश लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि अधिकतर भीड़ में व्यक्तिगत पहचान गुम हो जाती है और वह पुलिस और कानून से आसानी से बच निकलते हैं।

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी–११७, दूसरा तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली–११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org